न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या–119/2020

अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

मनोज दास एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
24/3/2021	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक सं0 3841/हि0शा0, दिनांक 20.12.2019) के आलोक में भरगामा थाना काण्ड संख्या–185/17, दिनांक 04.09.2017 धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। इस वाद के अभियुक्त श्री मनोज दास, पे0–सुरेश दास, सा0–तोनहा, थाना–भरगामा, जिला–अररिया को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सूचनोपरांत कई तिथियों से इस न्यायालय में अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इस वाद में कोई रूचि नहीं है। तत्पश्चात् वाद को आदेश पर रखा गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक पुलिस अवर निरीक्षक एवं अन्य द्वारा दिनांक 04.09.2017 को समय 8:35 बजे एक व्यक्ति जो अहद नदी की ओर से एक साईकिल पर सवार था तथा साईकिल के कैरियर पर एक बोरा बंधा हुआ था। साईकिल पर सवार व्यक्ति ने पुलिस गाड़ी को देखते ही साईकिल पटक कर भागने लगा। उसे खदेड़कर पकड़ा गया। पकड़ाये गये व्यक्ति जो काफी धबराया हुआ था, से नाम पता पुछने पर अपना नाम पुछने पर मनोज दास, पिता–सुरेश दास, सा0–तैनहा, थाना–भरगामा, जिला–अररिया बताये। दो स्वतंत्र गवाह अशोक ऋषिदेव, पिता–बद्री ऋषिदेव एवं भूदेव यादव, पिता–स्व0 अशर्फी यादव, सा0–बैजुपट्टी, थाना–भरगामा, जिला–अररिया के समक्ष तलाशी ली गई तथा साईकिल पर लदे बोरा से 30 लीटर देशी चुलाई देशी शराब बरामद किया गया एवं विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त साईकिल राजसात होने योग्य है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त साईकिल का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार थानाध्यक्ष, भरगामा थाना काण्ड संख्या–185/17, दिनांक 04.09.2017 में जब्त **साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात**(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,	

2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 23 (...) अररिया, दिनांक 26/03/2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
अररिया